भारत सरकार राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 683

वाणिज्य विभाग

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह पर व्यापार समझौतों के प्रभाव का आकलन

683 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समझौतों के लागू होने से पहले के पांच वर्षों के दौरान और उसके बाद हर वर्ष उन सभी देशों के साथ भारत के निर्यात और आयात का देश वार कुल मूल्य कितना है जिनके साथ भारत के व्यापार समझौते हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत के सामान के निर्यातों, आयातों, प्रशुल्क राजस्व और घरेलू उद्योग पर इन व्यापार समझौतों के असर का कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं या प्रस्तावित किए हैं कि भविष्य के व्यापार समझौतों में संतुलित बाज़ार पहुँच उपलब्ध हो, प्रतिकूल समझौतों पर फिर से बातचीत हो और भारतीय अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के नेटवर्क ने भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को काफी हद तक बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में एफटीए साझेदार देशों को भारत का निर्यात भारत के कुल पण्य-वस्तु निर्यात का लगभग 41% रहा, जो भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए सतत् निर्यात अवसर पैदा करने में एफटीए की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। एफटीए फ्रेमवर्क ने एशिया-प्रशांत, मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण एशिया के प्रमुख साझेदार देशों के साथ गहन व्यापार एकीकरण को सुगम बनाया है, जिससे निर्यात विविधीकरण, संवर्धित प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक भागीदारी को सहयोग मिला है। इसी अवधि के दौरान, एफटीए साझेदार देशों से आयात भारत के कुल पण्य-वस्तु आयात का लगभग 41% था, जिससे द्विपक्षीय व्यापार लिंकेजों को मजबूत करने और साझेदार देशों के साथ आर्थिक सहभागिता बढ़ाने में इन समझौतों के

बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। प्रभावी मुक्त व्यापार समझौतों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

एफटीए के क्रियान्वयन होने से पहले और बाद में साझीदार देशों के साथ भारत के देश-वार निर्यात कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें:

हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) ने निर्यात में मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत-ओमान सीईपीए (जून 2026 से प्रभावी): भारत का ओमान को निर्यात जून 2025 (समझौते से पूर्व की तुलनात्मक अवधि) में 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जून 2026 में 623 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(ii) भारत-ईएफटीए टीईपीए (अक्टूबर 2025 से प्रभावी): वित्त वर्ष 2025-26 में ईएफटीए देशों को भारत का निर्यात 1.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।

(iii) भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए (दिसंबर 2022 से प्रभावी): भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 (एफटीए से पूर्व-वर्ष) में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(iv) भारत-यूएई सीईपीए (मई 2022 से प्रभावी), यूएई को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 37.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(v) भारत-मॉरीशस सीईसीपीए (अप्रैल 2021 से प्रभावी): मॉरीशस को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 422.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 473.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

मौजूदा एफटीए ने भी निर्यात में मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) भारत- साफ्टा (जनवरी 2006 से प्रभावी): समझौते के कार्यान्वयन होने के बाद, साफ्टा को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2005-06 (एफटीए से पूर्व का वर्ष) में लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में बांग्लादेश, जहां निर्यात वित्त वर्ष 2005-06 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (साफ्टा निर्यात का 41.1% शेयर); नेपाल, जहां निर्यात वित्त वर्ष 2005-06 में 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (साफ्टा निर्यात का 28.9% शेयर); और श्रीलंका, जहां निर्यात वित्त वर्ष 2005-06 में 2.0 बिलियन अमेरिकी

डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (साफ्टा निर्यात का 21.4% शेयर) शामिल है

(ख) भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (जनवरी 2010 से प्रभावी): आसियान भारत के सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते वाले ग्रुपों में से एक बना हुआ है। भारत का आसियान को निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में लगभग 18.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इस अवधि में दोगुने से भी अधिक है। प्रमुख बाजारों में सिंगापुर, जहां निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 में 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (आसियान निर्यात में 30.9% शेयर); मलेशिया, जहां निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया (आसियान निर्यात में 17.8% शेयर), वियतनाम जहां निर्यात वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (आसियान निर्यात में 17.3% शेयर) और थाईलैंड, जहां निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (आसियान निर्यात में 13.2% शेयर) शामिल है ।

(ग) भारत-सिंगापुर सीईसीए (अगस्त 2005 से प्रभावी): सिंगापुर को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2003-04 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(घ) थाईलैंड (सितंबर 2004 से प्रभावी): थाईलैंड को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2004-05 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(ङ) भारत-जापान सीईपीए (अगस्त 2011 से प्रभावी): भारत का जापान को निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(च) भारत-कोरिया सीईपीए (जनवरी 2010 से प्रभावी): भारत का कोरिया गणराज्य को निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(छ) भारत-मलेशिया सीईसीए (जुलाई 2011 से प्रभावी): भारत का मलेशिया को निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(ज) नेपाल व्यापार संधि (अक्टूबर 2009 से प्रभावी): नेपाल को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2009-10 (एफटीए से पूर्व वर्ष) में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(झ) भूटान व्यापार समझौता (जुलाई 2017 में संशोधित): भूटान को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2016-17 (एफटीए वर्ष से पूर्व) में 468.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इसी प्रकार, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत के बढ़ते एकीकरण के कारण आयात में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारतीय उद्योग घरेलू विनिर्माण और निर्यातोन्मुख उत्पादन को सहयोग देने के लिए आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों और पूंजीगत वस्तुओं पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में एफटीए के साझेदार देशों से आयात लगभग 321.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है।

(ख) भारत की निर्यात वृद्धि इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक व्यापार समझौतों के माध्यम से प्राप्त विस्तृत बाजार पहुंच को परिलक्षित करती है, जिससे वैश्विक व्यापार में एक गतिशील देश के रूप में देश की स्थिति मजबूत हो रही है। भारत के पण्य-वस्तु निर्यात में 16% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-जून में 111.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-जून में 129.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी अवधि के दौरान भारत के एफटीए साझेदार देशों को पण्य-वस्तु निर्यात में 25% की वृद्धि हुई, जो 34.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 43.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। परिणामस्वरूप, भारत के कुल निर्यात में एफटीए साझेदारों का शेयर 31.1% से बढ़कर 33.4% हो गया, जो निर्यात वृद्धि को सहयोग देने और बाजार पहुंच का विस्तार करने में एफटीए की सकारात्मक भूमिका को दर्शाता है।

व्यापार समझौते के प्रभाव का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सरकार व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार युद्धों के प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग संघों, संबंधित हितधारकों, जिनमें विदेशों में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदें, व्यापार संघ और संबंधित मंत्रालय/विभाग शामिल हैं, के साथ लगातार कार्यरत है। सरकार का उद्देश्य व्यापार संवर्धन, एफटीए, व्यापार

सुविधा और आयात एवं निर्यात से संबंधित उपचारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

(ग) सरकार भारत के व्यापार के नए अवसरों को बढ़ाने के लिए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एफटीए पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इन समझौतों का उद्देश्य सुरक्षित बाजार पहुंच सुनिश्चित करना, सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देना, गैरशुल्क बाधाओं को दूर करना-, निवेश को संवर्धित करना और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। व्यापारिक पूरकताओं का लाभ उठाते हुए, एफटीए को व्यापार और निवेश दोनों को गति देने हेतु डिजाईन किया गया है, जिससे निर्यात की अपार संभावनाएं खुलें, उद्योग और किसानों के लिए नए अवसर सृजित हों और सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित हो।

घरेलू उद्योग और कृषि, डेयरी तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए, मुक्त व्यापार समझौतों में उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्करण सूचियाँ बनाए रखने का प्रावधान है जिन पर सीमित या कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आयात में अचानक वृद्धि और घरेलू उद्योग को होने वाली हानि की स्थिति में, किसी देश को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि के भीतर, आयात पर एंटी-डंपिंग और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापारिक उपचारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है।

एफटीए के तहत गठित संयुक्त समितियों और उप-समितियों जैसे संस्थागत तंत्रों का उपयोग कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने और घरेलू उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, के घरेलू उद्योग पर आयात पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए एफटीए के तहत उपयुक्त उत्पत्ति नियम, व्यापार उपचार उपाय, जिनमें सुरक्षा तंत्र भी शामिल हैं, उपलब्ध हैं। भारत के व्यापार और आर्थिक हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए एफटीए की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है।

****

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतांराकित प्रश्न सं. 683 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुलग्नक

क्र. सं.	**समझौते का नाम**	**समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि**	**समझौते के कार्यान्वयन की तिथि**
1	भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता	28 दिसंबर , 1998	1 मार्च , 2000
2	साफ्टा पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान)	4 जनवरी , 2004	1 जनवरी , 2006 (टैरिफ रियायतें 1 जुलाई, 2006 से लागू)
3	भारत नेपाल व्यापार संधि	27 अक्टूबर , 2009	यह संधि स्वतः ही सात वर्षों की अतिरिक्त अवधियों के लिए विस्तारित हो जाएगी, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को संधि को समाप्त करने के अपने इरादे की लिखित सूचना तीन महीने पहले न दे दे।
4	भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौता	17 जनवरी , 1972	आपसी सहमति से किए गए संशोधनों के साथ समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया जाता है। दिनांक 29 जुलाई 2006 को हस्ताक्षरित समझौता 10 वर्षों के लिए वैध था। आपसी सहमति से इसकी वैधता एक वर्ष के लिए या प्रस्तावित नए समझौते के लागू होने तक बढ़ा दी गई। नवीनीकृत समझौते पर दिनांक 12.11.2016 को हस्ताक्षर किए गए और यह

क्र. सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
			दिनांक 29 जुलाई 2017 से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी हुआ।
5	भारत - थाईलैंड एफटीए - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस)	9 अक्टूबर , 2003	1 सितंबर , 2004
6	भारत - सिंगापुर सीईसीए	29 जून , 2005	1 अगस्त , 2005
7	भारत - आसियान - सीईसीए - वस्तु, सेवा व्यापार और निवेश समझौता (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	वस्तुओं के लिए 13 अगस्त , 2009 और सेवाओं और निवेश के लिए नवंबर 2014	**वस्तुएँ** भारत और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के संबंध में 1 जनवरी 2010 भारत और वियतनाम के संबंध में 1 जून 2010 भारत और म्यांमार के संबंध में 1 सितंबर 2010 भारत और इंडोनेशिया के संबंध में 1 अक्टूबर 2010 भारत और बुर्नेई के संबंध में 1 नवंबर, 2010 भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी 2011 भारत और फिलीपींस के संबंध में 1 जून 2011 भारत और कंबोडिया के संबंध में 1 अगस्त, 2011

क्र. सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
			सेवाएँ और निवेश 1 जुलाई , 2015
8	भारत - दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त , 2009	1 जनवरी , 2010
9	भारत - जापान सीईपीए	16 फरवरी , 2011	1 अगस्त , 2011
10	भारत - मलेशिया सीईसीए	18 फरवरी , 2011	1 जुलाई , 2011
11	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी , 2021	1 अप्रैल , 2021
12	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी , 2022	1 मई 2022
13	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड-ऑस ईसीटीए)	2 अप्रैल , 2022	29 दिसंबर 2022.
14	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)	10 मार्च 2024	01 अक्टूबर 2025

क्र. सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
	(आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड)		
15	भारत - यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई 2025	15 जुलाई 2026
16	भारत – ओमान सीईपीए	18 दिसंबर 2025	01 जून 2026
17	भारत-न्यूजीलैंड एफटीए	27 अप्रैल 2026	यह अनुसमर्थन प्रक्रिया के अधीन है

नोट: इसके अतिरिक्त, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दिनांक 27 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और समझौते को लागू करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

*****